

28.08.2023:—पत्रावली आज वादी अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल किया गया। वादी अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त दोनों पक्षकारान का राजीनाम हो गया। पक्षकारान के राजीनाम हो जाने के कारण पत्रावली खारिज करने के आदेश फरमावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह द्वारा की गई। अतः उक्त वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हों

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़